दिनांक	आज्ञा पत्र
15/3/2021	लगातार कास्त दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पालीराम दर्ज है। परन्तु गलतफहमी वश रिकार्ड में पालाराम दर्ज हो गया। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया गया है। उक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत आधार कार्ड में पालीराम, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र में पालीराम, मार्कशीट कार्ड में पालीराम, भारतीय स्टेट बैंक पास बुक पालीराम व आधार विकास बैंक कार्ड में पालीराम नाम होना स्पष्ट है। तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 15/1/21 में प्रार्थी के नाम की त्रुटि होना है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का पत्र प्रा०-पत्र न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रा०-पत्र अ० धारा 136 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत जमाबंदी सम्वत 2014-2017 के खाता सं० 33 के खसरा नं० 18, 76, 77 कुल किता 3 कुल रकबा 6.0600 है० में दर्ज नाम "पालाराम पुत्र हुलाराम" के स्थान पर "पालीराम" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रार्थी के हक हिस्से पर बैंक ऋण का अर्जन बदस्तूर रहेगा। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्रति सम्बन्धित बैंक में पेश कर बैंक रकबा दुरुस्त करावाकर बैंक का प्रमाण-पत्र तहसीलदार को प्रेषित करें। दर्ज नामत के कारण [illegible] नाम तहमीका [illegible] सुनाया गया। 15.03.2021 उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khan
Date: 2021.04.01 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested